वित्त विधेयक, 2005

प्रत्यक्ष-कर के संबंध में उपबंध

वित्त विधेयक, 2005 में, प्रत्यक्ष-कर के क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों के संबंध में उपबंध हैं :-

(i) निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिए कर के लिए दायी आय पर, आय-कर की दरों का विहित किया जाना; उन दरों का विहित किया जाना; जिन पर वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान ब्याज (जिसके अन्तर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज भी है), लाटरी या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़ से जीत, ताश के खेल और ऐसे अन्य प्रवर्ग की आय पर, जो आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की ऐसी कटौती या संग्रहण के दायित्वाधीन है, वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए कुछ दशाओं में चालू आय पर "अग्रिम कर" की संगणना करने, "वेतन" से आय-कर की कटौती करने या कर संदाय करने तथा आय-कर प्रभारित करने के लिए दरों का विहित किया जाना।

(ii) अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित की दृष्टि से आय-कर का संशोधन,-

- मुख्य रूप से कर दाता की आय पर भार को कम करने के लिए है ताकि उत्पादक पर और राजस्व अभिदाय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके;
- बचत और विनिधान विनिश्चयों के संबंध में कर दाताओं के हाथों में अधिक विवेकाधिकार को अनुज्ञात करके कर कानून का सरलीकरण करने के लिए है;
- निगम कर को कम करने के लिए जिससे कि,-
  - > पूंजी की प्रत्याशित लागत को कम किया जा सके और आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए विस्तृत आन्तरिक प्रोदभवन की व्यवस्था हो सके;
  - > निगम कर को शीर्षस्थ सीमान्त व्यैक्तिक आय-कर दर के बराबर करके निगमीकरण से फर्मों के लिए किसी हतोत्साहन को हटाया जा सके; और
  - > उन निगमों को, जो निगम कर भार के अधिकांश भाग का वहन करते हैं, को उचित अनुतोष प्रदान किया जा सके;
- कर प्रोत्साहनों की कटौती कर के कर संरचना की साम्य, विशिष्टतया, प्रतिस्थापन के लिए आन्तरिक प्रोद्भवनों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिना, निगम कर दरों में कटौती के प्रभाव को परिलक्षित करने के लिए त्वरित अवक्षयण और पिछले दशक के दौरान पूंजी माल की कीमत में कम मुद्रा स्फीती में सुधार किया जा सके;
- नए विनिधान के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन का उपबंध किया जा सके;
- तीव्र कम्प्यूटरीकरण और क्वालिटी कर दाता सेवा के माध्यम से कर प्रशासन कारबार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सके ताकि,-
  - > संव्यवहार लागतों को कम किया जा सके तथा स्वैच्छिक अनुपालन को सुकर बनाया जा सके;
  - > अननुपालन की पहचान करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों की कर प्रशासन क्षमताओं को बढ़ाया जा सके ।

2. कुछ ऐसे कुछ अपवादों के अधीन रहते हुए, जिन्हें सुसंगत उपबंधों की व्याख्या करते समय उपदर्शित किया गया है, कर विधि के उपबंधों में परिवर्तन, को मामूली तौर पर उनके प्रवर्तन में भविष्यलक्षी होने का प्रस्ताव है। प्रत्यक्ष-करों के संबंध में, विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में स्पष्ट किया गया है :-

आय-कर

I. निर्धारण वर्ष 2005-2006 की बाबत कर से दायी आय के संबंध में आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2005-2006 की बाबत कर से दायी सभी प्रवर्गों के (निगमित के साथ-साथ अनिगमित) कर दाताओं की आय के संबंध में आय कर की दरें विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। यह वही हैं जो वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2004 की प्रथम अनुसूची के भाग 3 में अधिकथित हैं। विधेयक संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार के उद्ग्रहण का भी उपबंध करता है। अधिभार की दरें इस प्रकार हैं:-

(i) व्यष्टिकों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्ति संगम, व्यष्टि निकाय जिनकी कुल आय 8,50,000/- रु. से अधिक है, द्वारा संदेय कर पर (अध्याय 8-क के अधीन संगणित रिबेट के पश्चात्) 10%

(ii) कृत्रिम विधिक व्यक्तियों द्वारा संदेय कर पर 10%;

(iii) किसी फर्म, स्थानीय प्राधिकारी, सहकारी सोसाइटी और कंपनी द्वारा संदेय कर पर ढाई प्रतिशत ;

सार्वभौमिक गुणवत्ता आधारिक शिक्षा उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए संदेय कर की रकम पर जिसमें अधिभार भी सम्मिलित है दो प्रतिशत की दर से "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार उदगृहीत करने का प्रस्ताव है।

II. वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर आय-कर की कटौती की दरें, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें, अन्य बातों के साथ, प्रतिभूति पर ब्याज, "प्रतिभूति पर ब्याज से भिन्न ब्याज", बीमा कमीशन, लाटरी या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय को तथा अनिवासी (जिनके अन्तर्गत अनिवासी भारतीय भी हैं) की आय को लागू होती हैं । देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में, तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस के रूप में आय से स्रोत पर कर कटौती के लिए दरें बीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत कर दी गई हैं, यदि करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया जाता है। वेतनों से भिन्न, आय से स्रोत पर आय कर की कटौती के लिए सभी अन्य दरें उसी स्तर पर बनी रहेंगी जैसी कि वे वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट हैं।

यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक मामले में स्रोत पर कटौती किए गए कर में, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा वृद्धि की जाए। अधिभार की दरें निम्नानुसार हैं,-

(i) व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, व्यक्तियों के संगम और व्यष्टियों के निकाय को किए गए संदायों पर कटौती योग्य कर पर दस प्रतिशत यदि संदाय या किए गए संदाय या किए जाने वाले संदाय का योग दस लाख रुपए से अधिक है;

(ii) कृत्रिम विधिक व्यक्तियों को किए गए संदायों पर कटौती योग्य कर पर दस प्रतिशत;

(iii) फर्म को किए गए संदायों पर कटौती योग्य कर पर दस प्रतिशत;

(iv) किसी देशी कंपनी को किए गए संदायों पर कटौती योग्य कर पर दस प्रतिशत;

(v) किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी को किए गए संदायों पर कटौती योग्य कर पर ढाई प्रतिशत।

"आय-कर पर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार को, जिसे कि विश्वस्तरीय गुणवत्ता आधारिक शिक्षा उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए प्रवृत्त दरों पर अधिभार सहित कटौती किए गए कर की रकम पर दो प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता है, जारी रखने का प्रस्ताव है।

III. वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती, के लिए दरें, "अग्रिम-कर" की संगणना की और विशेष मामलों में आय-कर के प्रभारण की दरें

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान, "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए और साथ ही सभी प्रवर्ग के कर दाताओं के मामले में उस वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरों को विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है। ये दरें, ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ, अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोत परिवहन लाभों का अनंतिम निर्धारण, उस वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति का अंतरण करने की संभावना है या अल्पावधि के लिए बनाए गए निकायों का निर्धारण, आदि, वर्तमान आय पर वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान आय-कर के प्रभारण के लिए भी लागू हैं।

"आय-कर पर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार को, जिसे कि विश्वस्तरीय गुणवत्ता आधारिक शिक्षा उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए प्रवृत्त दरों पर अधिभार सहित कटौती किए गए कर की रकम पर दो प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता है, जारी रखने का प्रस्ताव है।

उक्त भाग 3 में विनिर्दिष्ट दरों की प्रमुख विशिष्टताएं आगामी पैराओं में उपदर्शित हैं :-

क. व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, आदि

पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क व्यष्टियों, हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों, व्यक्तियों के संगम, आदि के मामले में आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि छूट की सीमा को बढ़ाकर और कर स्लैबों के आधार को विस्तृत करके कर संरचना को सुव्यवस्थित किया जाए। यह प्रस्ताव किया जाता है कि आधारिक छूट सीमा को विद्यमान 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए किया जाए। अब से, 1,00,000 रुपए से कम की आय पर कोई कर उद्गृहीत नहीं किया जाना है। 1,00,000 रुपए से 1,50,000 रुपए के बीच की आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर उद्गृहीत किया जाएगा। 1,50,001 रुपए से 2,50,000 रुपए के बीच की आय पर 20 प्रतिशत की दर से कर उद्गृहीत किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है। 2,50,000 रुपए से अधिक की आय पर तीस प्रतिशत की दर से कर उद्गृहीत किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है।

ऐसी प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो कोई महिला है (भारत में निवासी) और जिसकी आयु पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष से कम है, 1,00,000 रुपए की प्रस्तावित आधारिक छूट सीमा को बढ़ाकर 1,25,000 रुपए किया जाएगा। अन्य शब्दों में, पैंसठ वर्ष से कम आयु की किसी भी निवासी महिला को 1,25,000 रुपए तक की आय पर कर का संदाय करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ऐसी निवासी व्यष्टि की दशा में, जिसकी आयु पूर्ववर्ती वर्ष में किसी भी समय पैंसठ वर्ष से अधिक थी, 1,00,000 रुपए की प्रस्तावित आधारिक छूट सीमा को और बढ़ाकर 1,50,000 रुपए करने का प्रस्ताव है। अन्य शब्दों में, पैंसठ वर्ष या अधिक आयु की कोई भी निवासी व्यष्टि जिसकी आय 1,50,000 रुपए तक है, किसी कर का संदाय नहीं करेगी।

जहां कुल आय 10,00,000 रुपए से अधिक है, वहां संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर में, संदेय कर (अध्याय 8-क के अधीन रिबेट अनुज्ञात करने के पश्चात्) के दस प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा वृद्धि की जाएगी। कृत्रिम विधिक व्यक्ति के मामले में, अवसीमा पर कोई ध्यान न देते हुए दस प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों (कृत्रिम विधिक व्यक्तियों से भिन्न) द्वारा, जिनकी आय 10,00,000 रुपए या कम है, कोई अधिभार संदेय नहीं होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए मार्जिनल अनुतोष उपलब्ध कराया जाएगा कि 10,00,000 रुपए से अधिक की आय पर अधिभार सहित संदेय आय-कर की रकम उस रकम तक सीमित है जितनी 10,00,000 रुपए से अधिक आय है। तथापि, शिक्षा उपकर के संबंध में कोई मार्जिनल अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

नीचे दी गई सारणी आय के स्लैबों और आय-कर की दर को दर्शित करती है। स्तंभ (क) विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क में दी गई दरों को विनिर्दिष्ट करता है; और स्तंभ (ख) विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क में दी गई दरों को विनिर्दिष्ट करता है।

सारणी-1: विद्यमान और प्रस्तावित निजी आय-कर दर अनुसूची के बीच तुलना

(क)		(ख)	
आय-स्लैब	**वित्तीय वर्ष 2004-05 के लिए लागू दरें (मूल्यांकन वर्ष 2005-06)**	**आय-स्लैब**	**वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए प्रस्तावित दरें (मूल्यांकन वर्ष 2005-06)**
50,000 रुपए तक	शून्य	1,00,000[2] रुपए तक	शून्य
50,001 रुपए - 60,000 रुपए	10%	1,00,000[2] रुपए - 1,50,000 रुपए	10%[3]
60,001 रुपए - 1,50,000 रुपए तक	20%	1,50,001 रुपए - 2,50,000 रुपए	20%
1,50,000 रुपए से अधिक	30%[1]	2,50,000[4] रुपए से अधिक	30%

1. *इस स्लैब में 8,50,000/- रुपए से अधिक आय वाले व्यक्तियों से, आध्याय 8क के अधीन रिबेट के पश्चात् संदेय कुल आय-कर पर दस प्रतिशत के अधिभार का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी। ऐसे कर पर मार्जिनल अनुतोष के लिए भी उपबंध किया गया है।*
2. *पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी समय 65 वर्ष से कम आयु की निवासी महिला किसी ऐसी निवासी महिला की दशा में जिसकी पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय आयु 65 वर्ष से कम है, 1,00,000/- रुपए और 1,00,001/- रुपए शब्दों के स्थान पर क्रमशः 1,25,000/- रुपए और 1,25,001/- रुपए अंक रखे जाएंगे।*
3. *पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष की या इससे अधिक आयु वाले निवासी व्यष्टि की दशा में, 10% अंक को शून्य पढ़ा जाएगा।*
4. *इस स्लैब में ऐसे व्यक्तियों से जिनकी आय 10,00,000 रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन रिबेट, यदि कोई हो, के पश्चात् संदाय कुल आय-कर पर दस प्रतिशत अधिभार का संदाय करने की अपेक्षा की जाएगी। ऐसे कर पर मार्जिनल अनुतोष का भी उपबंध किया गया है।*

टिप्पणः *प्रस्तावित दर संरचना में आय-कर और अधिभार पर 2% की दर से शिक्षा उपकर का उद्ग्रहण जारी रहेगा ।*

ख. सहकारी सोसाइटियां

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरें, विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग 3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट हैं। ये दरें वही हैं जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में हैं। संघ के प्रयोजन के लिए संदेय कर पर अधिभार को वापस लेने का प्रस्ताव है । तथापि, संदेय कर पर 2% की दर से शिक्षा उपकर का उद्ग्रहण जारी रहेगा।

ग. फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। इस दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है। संघ के प्रयोजनों के लिए फर्मों द्वारा संदेय कर को कुल संदेय कर के 2.5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया है और अधिभार को सम्मिलित करके कुल संदेय कर पर 2% की दर पर उद्गृहीत किया जा रहा शिक्षा उपकर जारी रहेगा।

घ. स्थानीय प्राधिकरण

स्थानीय प्राधिकरणों की दशा में, आय-कर की दर, विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट है। यह दर वही है, जो विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 1 के तत्स्थानी पैरा में विनिर्दिष्ट है। संघ के प्रयोजनों के लिए संदेय कर पर 2.5% के अधिभार को वापस ले लिया गया है। इस प्रकार संघ के प्रयोजनों के लिए स्थानीय प्राधिकरणों पर कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया गया है । तथापि, संदेय कर पर 2% की दर से शिक्षा उपकर का उद्ग्रहण जारी रहेगा।

ङ. कंपनियां

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट की गई हैं। देशी कंपनी की दशा में कर की दर के 35% से घटाकर 30% करने का प्रस्ताव है। देशी कंपनी की दशा में विद्यमान 2.5% के अधिभार को बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव है। विदेशी कम्पनी की दशा में कर की दर और अधिभार क्रमशः 40% और 2.5% के विद्यमान स्तर पर जारी रहेगा। सभी कम्पनियों द्वारा संदेय कर, जिसमें अधिभार सम्मिलित है, में शिक्षा उपकर की विद्यमान 2.5% की दर से वृद्धि जारी रहेगी।

[खंड 2 और पहली अनुसूची]

बचतों के कर व्यवहार का सुव्यवस्थीकरण

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंध वित्तीय बचतों के कराधान के लिए समरूप उपचार प्रदान नहीं करते हैं। बचत स्कीमों में किए गए अभिदायों का कराधान में, संग्रहणों पर उद्गृहीत कर में और प्रत्याहरण के अंतिम प्रक्रम पर कर उपचार में काफी फेरबदल किया गया है। विभिन्न वित्तीय लिखतों में एकरूपता की यह कमी कृत्रिम विरूपण और पूर्वाग्रह को उत्प्रेरित करने के लिए प्रवृत्त है। जबकि बहुत सी बचत योजनाएं सभी तीनों प्रक्रमों पर कर से छूट प्राप्त हैं, अन्य अन्तिम प्रक्रम पर प्राप्त किए गए संग्रहणों या संदायों पर कर के अधीन है। वित्तीय बचतों के कराधान से संबंधित सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय प्रथा "लगाए गए कर पर छूट-छूट"- ईईटी पद्धति हैं। असंख्य देशों ने इस प्रणाली को अंगीकृत किया है और बहुत से अन्य देश इसकी ओर अग्रसर हैं। इस पद्धति के अधीन, विनिर्दिष्ट बचतों में किए गए अभिदाय, कर से छूट प्राप्त हैं (ई), संग्रहण को भी छूट है (ई), किन्तु बचतों से प्रत्याहरण/फायदों पर कर लगाया जाता है (टी)। ईईटी पद्धति आय कर के अधीन बचतों के प्रति अन्तर्निहित पूर्वाग्रह को समाप्त करता है/कम करता है।

अधिनियम की धारा 80गगग के उपबंध भारतीय जीवन बीमा निगम या पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य बीमाकर्ता की किसी वार्षिकी योजना के मद्दे किसी व्यक्ति द्वारा जमा किए गए दस हजार रुपए की रकम की आय से कटौती के लिए अनुज्ञात करता है। तथापि, प्रत्याहरण या पेंशन के रूप में प्राप्त रकम प्राप्ति के वर्ष में समुचित सीमान्त दर पर कर के अधीन है। धारा 80गगघ के उपबंध 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् केन्द्रीय सरकार की सेवा में आए सभी नए कर्मचारियों के लिए केन्द्रीय सरकार पेंशन स्कीम में और सेवानिवृत्ति के पश्चात प्राप्त पेंशन या वार्षिकियों में अभिदायों के लिए एक समान व्यवहार का उपबंध करता है। इन दो उपबंधों के अधीन बचतें ईईटी पद्धति के समरूप हैं।

धारा 80ठ के उपबंध बारह हजार रुपए की सीमा अधीन रहते हुए सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, पब्लिक सेक्टर कम्पनियों के डिबेंचरों पर ब्याज, बैंककारी कम्पनियों या वित्तीय निगमों आदि के पास निक्षेपों पर ब्याज के रूप में कोई आय वाले व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की सकल कुल आय से कटौती के लिए अनुज्ञात करता है। तीन हजार रुपए की अतिरिक्त कटौती सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के संबंध में अनुज्ञात है।

धारा 88 के उपखंड किसी व्यष्टि पर हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की कुल आय पर संदेय कर से कटौती के लिए, जो जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में संदत्त या निक्षिप्त राशि, की नियत प्रतिशतता, भविष्य निधि में अभिदायों, आस्थगित वार्षिकियों के लिए स्कीमों, आवास ऋणों के मूलधन के प्रतिसंदाय, आदि के बराबर है, उपबंध करता है। इस धारा के अधीन कटौती के प्रयोजन के लिए, पात्र स्कीमों में संदत्त या निक्षिप्त की जाने वाली समग्र राशि अवसंरचना बंधपत्रों में विनिधान के लिए तीस हजार रुपए की अतिरिक्त रकम सहित सत्तर हजार रूपए तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, समग्र विनिधान अधिकतम सीमा के भीतर, आवास ऋण के प्रतिसंदाय के लिए बीस हजार रुपए और अध्यापन फीस के संदाय के लिए चौबीस हजार की आंचलिक सीमा है। उन व्यक्तियों के लिए जिन की सकल कुल आय एक लाख पचास हजार रुपए से अनधिक है, आय-कर से रिबेट की दर बीस प्रतिशत है और उन व्यक्तियों के लिए, जिनकी सकल कुल आय एक लाख पचास हजार रुपए है और पांच लाख रुपए तक है, पन्द्रह प्रतिशत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिनकी आय पांच लाख रुपए से अधिक है, कोई रिबेट उपलब्ध नहीं है। इस उपबंध के अधीन विभिन्न स्कीमों में बचतें ईईटी पद्धति के अनुरूप नहीं हैं।

वित्तीय बचतों पर कर लगाने की विद्यमान पद्धति अत्यधिक विकारात्मक है जिसका परिणाम आर्थिक अदक्षता और असमानता है। ऐसे विकारात्मक प्रभावों को दूर करने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि अति अधिमानित विकल्प के रूप में ईईटी पद्धति को अंगीकृत किया जाए। तथापि, विद्यमान ईईई पद्धति से ईईटी पद्धति की ओर अग्रसर होने से संक्रमणकालीन प्रशासनिक समस्याएं सामने आने की संभावना है, यद्यपि ये अलंध्य नहीं हैं। प्रचालन में कुछ विद्यमान बचत स्कीमों की अभिकल्पना, विशेष रूप से आज्ञापक योजनाएं बीमा उत्पाद कराधान की ईईटी पद्धति को अपनाने के लिए अल्पकालिक पर्याप्त नम्यता के लिए अनुज्ञात नहीं कर सकेगा। अतः यह प्रस्ताव है कि ईईटी प्रणाली की ओर अग्रसर होने के लिए कार्यवृत्त तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति स्थापित की जाए। यह समिति बचत लिखतों के मिश्रण की जांच भी करेगी जो इस नई ईईटी प्रणाली के अधीन अर्हित होगी।

इस पारगमन में, यह प्रस्ताव किया जाता है कि ईईटी प्रणाली के अन्तिम रूप से अपनाए जाने को सुकर बनाने के लिए समुचित उपाय किए जाएं। ईईटी प्रणाली के अधीन, बचत योजना में अभिदान आय से कटौती योग्य है। अतः बचत उत्पादों में विनिधान के लिए रिबेट देने की विद्यमान प्रणाली ईईटी पद्धति से असंगत है। अतः ईईटी पद्धति की दिशा में यह पहला कदम रिबेट पद्धति से आय आधारित कटौती पद्धति की ओर चलना है। अतः यह प्रस्ताव है कि आय-कर

अधिनियम के अध्याय 6क के अधीन एक नई धारा 80ग अन्तःस्थापित करके अभिदायों के लिए आय आधारित कटौती द्वारा विनिर्दिष्ट बचत स्कीम में अभिदाय और विनिधान के लिए धारा 88 के अधीन कर रिबेट का उपबंध करने की विद्यमान पद्धति को प्रतिस्थापित किया जाए।

इस नई धारा 80ग के अधीन व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ऐसी रकम की आय से कटौती के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जो कतिपय विनिर्दिष्ट स्कीमों में कर से प्रभार्य आय में से, पूर्ववर्ती वर्ष में संदत्त या निक्षिप्त राशि की बाबत एक लाख रुपए से अधिक नहीं है। प्रस्तावित धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र विनिधान वही हैं जो धारा 88 के अधीन आय-कर से रिबेट के लिए पात्र हैं। इनके अन्तर्गत जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि या आस्थगित वार्षिकियों के लिए स्कीमों में अभिदाय, अवसंरचना बंधपत्रों का क्रय, अध्यापन फीस का संदाय, आवास ऋण की मूल रकम का प्रतिसंदाय आदि है। तथापि विकारों को न्यूनीकृत करने के उद्देश्य से, प्रस्तावित धारा में कोई अंचल सीमाएं नहीं हैं और निर्धारिती विनिर्दिष्ट समग्र अधिकतम सीमा के भीतर किसी एक या अधिक पात्र लिखतों में विनिधान करने के लिए स्वतंत्र है।

यह और प्रस्ताव किया जाता है कि एक नई धारा 80गगङ को अंतःस्थापित किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की कुल राशि एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

धारा 88 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन किसी निर्धारिती को निर्धारण वर्ष 2006-2007 और पश्चातवर्ती वर्षों के लिए आय-कर की रकम में से कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

धारा 80ठ में संशोधन करने का भी प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण वर्ष 2006-2007 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को उक्त धारा के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

धारा 10, धारा 54ङग, धारा 54ङघ, धारा 80गगग, धारा 80गगघ और धारा 295 में परिणामिक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव किया गया है

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2006-2007 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4, 17, 18, 21 से 24, 28 और 29]

एक लाख रुपए से कम आय वाले व्यक्तियों के लिए धारा 88घ के अधीन कर रिबेट की समाप्ति

धारा 88घ के उपबंध, किसी ऐसे निवासी व्यष्टि के मामले में, जिसकी कुल आय एक लाख रुपए तक है, संदेय आय-कर की कुल रकम से रिबेट के लिए उपबंध करते हैं। यह सीमांत अनुतोष का भी उपबंध करती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी व्यक्ति की पश्च-कर आय एक लाख रूपए से कम नहीं हो।

साधारण छूट सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपए किए जाने के प्रस्ताव को देखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त धारा का लोप किया जाए।

प्रस्तावित लोप 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2006-2007 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 32]

धारा 88ख के अधीन वरिष्ठ नागरिकों और धारा 88ग के अधीन महिलाओं के लिए कर रिबेट की समाप्ति

धारा 88ख में अंतर्विष्ट उपबंध किसी ऐसे व्यष्टि की, जिसकी आयु पेंसठ वर्ष या अधिक है, कुल आय पर संदेय आय-कर में से ऐसे आय-कर की कुल रकम या तीस हजार रुपए, इनमें जो भी कम है, की कटौती करने की अनुज्ञा देते हैं।

धारा 88गग में अंतर्विष्ट उपबंध, किसी ऐसी महिला की जिसकी आयु पेंसठ वर्ष से कम है, कुल आय पर संदेय आय-कर में से ऐसे आय-कर की कुल रकम या पांच हजार रुपए, इनमें जो भी कम हो, की कटौती करने की अनुज्ञा देते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा को बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए करने तथा महिलाओं के लिए छूट सीमा को बढ़ाकर एक लाख पच्चीस हजार रुपए करने के प्रस्ताव को देखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त धाराओं का लोप किया जाए।

प्रस्तावित लोप 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2006-2007 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 31 और 33]

वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती की समाप्ति

धारा 16 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसे निर्धारिती को, जिसकी वेतन से आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, वेतन के चालीस प्रतिशत या तीन हजार रुपए, इनमें जो भी कम हो, की कटौती अनुज्ञात की जाती है। ऐसे किसी निर्धारिती के मामले में, जिसकी आय पांच लाख से अधिक है, पच्चीस , हजार रूपए की कटौती अनुज्ञात की जाती है।

साधारण छूट सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपए करने के प्रस्ताव और आय स्लैबों को सारवान् रूप से विस्तृत किए जाने के प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त धारा का इस प्रकार संशोधन किया जाए जिससे कि उपर्युक्त फायदों को वापस लिया जा सके।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2006-2007 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 6]

सीमांत फायदा कर

सीमांत फायदा कर का आरंभ

विभिन्न देशों में किसी नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को संदत्त नकद वेतन या मजदूरी के अलावा उपलब्ध कराए जाने वाली परिलब्धियों या सीमांत फायदों का कराधान, भिन्न-भिन्न उपबंधों के अधीन है। ये फायदे या तो स्वयं कर्मचारियों द्वारा कर के अध्ययधीन किए जाते हैं या नियोजक ऐसे फायदों के मूल्य को "सीमांत फायदा कर" के अध्यधीन रखता है। नियोजक से सीमांत फायदा कर के उद्ग्रहण का तर्काधार, ऐसे फायदों के सामूहिक उपभोग के मामले में "व्यैक्तिक कारक"

को अलग करने की और उसे सीधे कर्मचारियों को सौंपने में अंतर्निहित कठिनाई में निहित है। ऐसा विशेषकर वहां है, जहां नियोक्ता द्वारा उपगत व्यय स्पष्टतया कारबार के प्रयोजनों के लिए है, किन्तु इसके अंतर्गत आंशिक उपाय के रूप में व्यैक्तिक प्रकृति का फायदा भी है। इसके अतिरिक्त , ऐसे मामलों में, जहां नियोक्ता, सीधे कर्मचारियों को उपगत व्ययों की प्रतिपूर्ति करता है, नियोक्ता के हाथों में नकद प्रवाह की समस्या के कारण उपलब्ध कराई गई परिलब्धियों के सही विस्तार का प्रभावी रूप से पता चलाना कठिन हो जाता है।

अतः, यह प्रस्ताव किया जाता है कि आय-कर अधिनियम के अधीन सीमांत फायदों के कराधान के लिए दोहरी रीति अपनाई जाए। ऐसी परिलब्धियों को, जिन्हें सीधे नियोक्ता के अधीन माना जा सकता है, नियोक्ता द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 17(2) के विद्यमान उपबंधों के अनुसार और आय-कर नियमों के नियम 3 में उपवर्णित मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कर के अध्यधीन किया जाता रहेगा। ऐसे मामलों में, जहां व्यक्तिगत फायदों को किसी के अधीन रखे जाने में समस्या आती है या किन्हीं कारणों से, ऐसे फायदों का नियोक्ता द्वारा कर के अध्यधीन रखा जाना साध्य नही है, यह प्रस्ताव किया जाता है कि नियोक्ताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए गए समझे जाने वाले ऐसे फायदों के मूल्य के लिए नियोक्ता पर **सीमांत फायदा कर** के नाम से ज्ञात एक पृथक् कर का उद्ग्रहण किया जाए।

इस प्रयोजन के लिए, आय-कर अधिनियम में एक नया अध्याय 12-ज अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिसमें धारा 115ब से 115बठ अंतर्विष्ट होंगी, जो सीमांत फायदों पर अतिरिक्त आय-कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करती हैं। इस अध्याय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाग क में प्रयोग की गई कतिपय पदों के अर्थ अन्तर्विष्ट हैं भाग ख प्रभार के आधार को उपदार्शित करता है और भाग ग सीमांत फायदों, निर्धारण और उस पर कर के संदाय की बाबत विवरणी फाइल करने के लिए प्रक्रिया की रूप रेखा दर्शाता है।

प्रस्तावित उपबंधों के अधीन सीमांत कर ऐसे नियोक्ता द्वारा संदेय हैं जो एक व्यष्टि है या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब है या किसी कारबार या वृत्ति में रत कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति है।

किसी नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारियों को पूर्ववर्ष के दौरान उपलब्ध कराए गए या कराए गए माने गए सीमांत फायदों के मूल्य के संबंध में कर संदेय है। इस प्रकार संगणित छिटपुट फायदों का मूल्य सीमांत फायदों की बाबत धारा 115बक में यथा उपबंधित 30% की दर से अतिरिक्त आय-कर के अधीन है। सीमांत फायदा कर ऐसे नियोक्ता द्वारा तब भी प्रभार्य है, जहाँ आय-कर के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित उसकी कुल आय आय-कर से प्रभार्य नहीं है।

धारा 115बख में वर्णित रूप रेखा के अनुसार सीमांत फायदों से, किसी नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारियों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, भूतपूर्व कर्मचारियों सहित) उनके नियोजन के कारण उपलब्ध कराया गया कोई विशेषाधिकार, सेवा, प्रसुविधा या सुविधा अभिप्रेत है। इसमें नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारियों के प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी भी प्रयोजन के लिए किया गया प्रतिदाय, नियोक्ता द्वारा अनुमोदित निधि में अंशदान के साथ-साथ कर्मचारियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा की गई निजी यात्राओं के लिए उपलब्ध कराए गए निःशुल्क या रियायती टिकट शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित धारा के उपबंधों के अनुसार सीमांत फायदा उस समय उपलब्ध कराया गया माना जाएगा यदि नियोक्ता ने (क) मनोरंजन; (ख) त्यौहार मानने; (ग) उपहार; (घ) क्लब सुविधाओं का प्रयोग; (ङ) किसी भी व्यक्ति को भोजन और पेय या किसी अन्य रीति से जिसमें कर्मचारियों को कार्यालय या कारखाने में भोजन और पेय रहित उपलब्ध कराई गई आतिथ्य सुविधाएं शामिल हैं; (च) अतिथि गृहों का अनुरक्षण; (छ) सम्मेलन; (ज) कर्मचारी कल्याण; (झ) हैल्थ कल्ब क्रीडा और ऐसी सुविधाओं का प्रयोग; (ञ) बिक्री संवर्धन जिसमें प्रचार शामिल है; (ट) वाहन सहित दौरा और यात्रा जिसमें विदेश यात्रा पर व्यय शामिल है; (ठ) होटल में खानपान और वासा, (ड) मोटर कारों की मरम्मत और परिचालन तथा अनुरक्षण; (ढ) वायुयानों की मरम्मत, परिचालन तथा अनुरक्षण; (ण) औद्योगिक ईंधन के अतिरिक्त ईंधन की खपत; (त) टेलीफोन का उपयोग; (थ) कर्मचारियों के बालकों को छात्रवृत्ति पर कोई व्यय उपगत किया है या उपर्युक्त के लिए कोई संदाय किया है।

सीमांत कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए सीमांत फायदों के मूल्य की संगणना की रीति 115बग में उपबंधित है। यह निम्नलिखित का योग है,

(क) कर्मचारियों या उनके कुटुम्ब के सदस्यों की निजी यात्राओं के लिए नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए निःशुल्क या रियायती टिकट की लागत से वह रकम घटाकर जो कर्मचारी द्वारा संदत्त की गई है या उससे वसूली गई है;

(ख) अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में नियोक्ता द्वारा किए गए वास्तविक अभिदाय की रकम;

(ग) पहले दिए गए पैरा में, उपदर्शित मद (क) से मद (ठ) पर किए गए व्यय का विनिर्दिष्ट प्रतिशत।

ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता मोटर कार द्वारा या वायुयान द्वारा यात्रियों अथवा माल के परिवहन के कारबार में लगा हुआ है, वहां मोटर कारों या वायुयानों की मरम्मत, परिचालन और अनुरक्षण पर हुए व्ययों या ईंधन व्ययों का निम्नतर प्रतिशत विनिर्दिष्ट किया गया है। इसी प्रकार, होटलों के लिए सीमांत फायदा कर के अधीन दायित्व की गणना के प्रयोजनों के लिए, आथित्य पर उपगत हुए व्ययों का निम्नतर प्रतिशत विनिर्दिष्ट किया गया है।

सीमांत फायदा कर संदाय करने के लिए दायी कोई नियोक्ता धारा 115बघ में दी गई शोध्य तारीख से पूर्व सीमांत फायदा की विवरणी फाइल करना अपेक्षित होगा। धारा 115 बङ नियोक्ता द्वारा फाइल की गई सीमांत फायदों की विवरणी के मूल्यांकन के लिए और संदेय कर या ब्याज के निर्धारण अथवा शोध्य प्रतिदाय और दोनों मामलों में उस प्रभाव की सूचना जारी करने की प्रक्रिया का वर्णन करती हैं। धारा 115बच, ऐसी दशाओं में, जहां नियोक्ता धारा 115बघ के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या धारा 115बङ के अधीन जारी सूचना का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है, सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण के लिए उपबंध करती है। जहां निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर से प्रभार्य कोई सीमांत फायदा निर्धारण से बच गया है, वहां धारा 115बछ निर्धारण से बच गए ऐसे किसी सीमांत फायदे के पुनः निर्धारण के लिए उपबंध करती है और धारा 115बज निर्धारण के लिए या, धारा 115बछ के अधीन पुनः निर्धारण के लिए सूचना जारी करने के लिए उपबंध करती है।

धारा 115-बञ और धारा 115बझ के उपबंध सीमांत फायदों की बाबत अग्रिम कर के संदाय और किसी नियोक्ता द्वारा ऐसा संदाय करने में विलम्ब की दशा में ब्याज के संदाय का उपबंध करती है। धारा 115बट आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम की दशा में ब्याज प्रभारित करने और धारा 115बठ अन्यथा उपबंधित के सिवाय सीमांत फायदों की बाबत आय-कर अधिनियम के अन्य उपबंधों के लागू होने का भी उपबंध करती है।

सीमांत फायदों की विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता की दशा में शास्ति का उद्ग्रहण करने के लिए एक नई धारा 271चख अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

इस अध्याय के उपबंधों के प्रति निर्देश शामिल करने के लिए धारा 2, धारा 17, धारा 40, धारा 119, धारा 124, धारा 139क, धारा 140, धारा 140क, धारा 142, धारा 153, धारा 238, धारा 239, धारा 244क, धारा 246क, धारा 271, धारा 273ख, धारा 276गग और धारा 278 में पारिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 37]

कर आधार का विस्तृत बनाया जाना

आय की विवरणी प्रस्तुत करने की बाध्यता

आय-कर अधिनियम की धारा 139 आय की विवरणी प्रस्तुत करने के लिए उपबंध करती है। विद्यमान उपबंधों के अधीन सभी कंपनियों के लिए, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि क्या उनकी आय कर के लिए दायी है अथवा नहीं, आय की विवरणी फाइल किया जाना बाध्यकर है। इसी प्रकार किसी कंपनी से भिन्न व्यक्तियों के लिए उस समय आय की विवरणी फाइल करना बाध्यकर है, जब उनकी कुल आय, छूट सीमा, अर्थात् उस अधिकतम राशि से, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, अधिक है। विवरणी फाइल किए जाने की अपेक्षा कुल आय के प्रति निर्देश से है।

इसके अतिरिक्त, किसी व्यक्ति से, सामान्यतया छह-में-एक स्कीम के नाम से ज्ञात स्कीम के अधीन अपनी विवरणी फाइल करने की भी अपेक्षा की जाती है। इस स्कीम के अधीन, आस्तियों और व्यय की छह महत्वपूर्ण मदें विनिर्दिष्ट की गई हैं, जो किसी व्यक्ति की संभावित आय के लिए सूचक का कार्य करती हैं। यदि कोई व्यक्ति, किसी भी विनिर्दिष्ट व्यय को उपगत करता है या किसी भी विनिर्दिष्ट आस्ति का अर्जन करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए, इस बात पर ध्यान न देते हुए कि उसकी आय करादेय है अथवा नहीं, विवरणी फाइल करना बाध्यकर है। ये छह मदें निम्नलिखित हैं:—

- किसी गृह का अधिभोग
- किसी मोटर कार का स्वामित्व
- विदेश यात्रा पर व्यय
- किसी क्रेडिट कार्ड को धारण करना
- किसी सेलुलर फोन का ग्राहक होना
- किसी ऐसे क्लब का सदस्य होना, जहां प्रवेश शुल्क पच्चीस हजार रुपए से अधिक है

कर आधार को विस्तृत बनाने के विचार से यह उपबंध करने के लिए, विवरणी फाइल करने से संबंधित उपबंधों का संशोधन किया जा रहा है कि-

- सभी भागीदारी फर्मों को, अपनी आय के स्तर पर ध्यान न देते हुए, आय की विवरणी फाइल करनी चाहिए।
- विवरणी फाइल करने के आधार को कुल आय से सकल कुल आय पर अंतरित किया जाना है। अन्य शब्दों में, ऐसे सभी व्यक्तियों से, जो अध्याय 6-क या धारा 10क, धारा 10ख या धारा 10खक के अधीन कटौतियों के लिए दावा करते हैं, उस समय भी विवरणी फाइल करने की अपेक्षा की जाएगी, जब ऐसी कटौतियों का दावा करने के पश्चात् उनकी आय कराधेय सीमाओं से कम है।
- किसी सेलुलर फोन के ग्राहक से, यदि उसकी आय कर से अप्रभार्य अधिकतम राशि से कम है।
- विद्युत के उपभोग पर पचास हजार से अधिक का व्यय उपगत करने के वाले व्यक्तियों के लिए, उनकी आय के स्तर पर ध्यान न देते हुए विवरणी फाइल करना बाध्यकर होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-07 के सबंध में लागू होंगे।

[खंड 40]

कल्याणकारी उपाय

उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु लिए गए ऋण पर संदत्त ब्याज की समस्त रकम के लिए कटौती

धारा 80ड़ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी व्यक्ति को, उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था या किसी अनुमोदित पूर्त संस्था से लिए गए ऋण, या ऐसे ऋण पर ब्याज के प्रतिसंदाय के रूप में पूर्ववर्ती वर्ष में उसके द्वारा संदत्त किसी रकम के मद्दे चालीस हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात की जाती है।

उच्च शिक्षा के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि उच्च शिक्षा का अध्ययन करने के प्रयोजनों के लिए किसी वित्तीय संस्था या किसी अनुमोदित पूर्त संस्था से लिए गए ऐसे ऋण पर पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किसी व्यष्टि द्वारा संदत्त ब्याज की समस्त रकम, कुल आय से कटौती के रूप में, किसी सीमा के बिना अनुज्ञात की जाएगी। तथापि, मूल ऋण रकम के प्रतिसंदाय के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी। यह कटौती उस वर्ष से, जिसमें ऋण पर ब्याज का संदाय आरम्भ किया गया है, आरंभ होने वाले आठ वर्ष के लिए अनुज्ञात की जाती है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और निर्धारण वर्ष 2006-07 तथा तदनुसार पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 25]

क्षेत्रीय विकास का संवर्धन करने के लिए उपाय

धारा 80झख के अधीन कर-छूट के प्रयोजन के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए समय-सीमा का विस्तार

धारा 80झख की उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे औद्योगिक उपक्रम जो शीतागार संयंत्र के विनिर्माण या उत्पादन या प्रचालन में लगे हुए है तथा जिनकी स्थापना जम्मू-कश्मीर राज्य में 1.4.1993 से 31.3.2005 की अवधि के दौरन हुई है, पांच वर्ष की अवधि के लिए लाभों की शत प्रतिशत कटौती, इसके पश्चात अगले पांच वर्षों के लिए पच्चीस प्रतिशत (कंपनियों की दशा में तीस प्रतिशत) कटौती के लिए पात्र हैं। यह कटौती तीसरी अनुसूची में सम्मिलित वस्तुओं की नकारात्मक सूची के अधीन रहते हुए उपलब्ध है, जिन्हें ऐसे औद्योगिक उपक्रमों द्वारा विनिर्मित या उत्पादित नहीं किया जाना चाहिए। यह कटौती 31.3. 2005 के पश्चात् राज्य में स्थापित किए गए उद्योगों के लिए लागू नहीं है।

जम्मू-कश्मीर राज्य के औद्योगिक विकास का संवर्धन करने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि राज्य में औद्योगिक, उपक्रमों की स्थापना और पात्र कारबार के प्रारम्भ के लिए अन्तिम तारीख को 31.3.2005 से दो और वर्षों के लिए बढ़ा कर 31.3.2007 किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 27]

सुव्यवस्थीकरण और सरलीकरण उपाय

विशेष आर्थिक ज़ोन में यूनिटों के लिए सावधि विधिक खंड का अन्तःस्थापन

धारा 10क की उपधारा (1क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी विशेष आर्थिक जोन में स्थापित कोई उपक्रम, जो 31.3.2002 के पश्चात वस्तुओं या चीजों या कम्प्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरम्भ करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए निर्यात लाभों की शत प्रतिशत कटौती और अगले दो वर्षों के लिए पचास प्रतिशत, उसके पश्चात् अगले तीन वर्षों के लिए किसी विशेष आरक्षित लेखा में प्रत्यय किए गए निर्यात लाभों की पचास प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाती है।

इस धारा के उपबंधों को सरलीकृत करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि एक सावधि विधिक खंड अन्तःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध हो सके कि उपधारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसे उपक्रम को अनुज्ञात नहीं की जाएगी जो विशेष आर्थिक जोन में 31.3.2009 के पश्चात् ऐसी वस्तुओं,चीजों या कम्प्यूटर साफ्टवेयर का निर्माण या उत्पादन आरम्भ करता है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

अन्य उपबंधों के अधीन पश्चात्वर्ती वर्षों में कर दायित्व के प्रति धारा 115ञख के अधीन मैट के लिए कर प्रत्यय अनुज्ञात करना

धारा 115ञख के उपबंधों के अधीन, जहां पूर्ववर्ष में कम्पनी द्वारा संदेय आय-कर उसके बही लाभ का साढ़े सात प्रतिशत से कम है, ऐसा बही लाभ कम्पनी की कुल आय समझी जाए और यह साढ़े सात प्रतिशत की दर पर आय-कर का संदाय करने का दायी है। इस धारा के अधीन कम्पनी द्वारा संदत्त ऐसे कर का कोई प्रत्यय ऐसे कर दायित्व के प्रति अनुज्ञात नहीं किया जाता है जो अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन पश्चात्वर्ती वर्षों में उद्भूत होता है।

यह प्रस्ताव है कि धारा 115ञकक का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कर की रकम 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए कम्पनी द्वारा धारा 115ञख की उपधारा (1) के अधीन संदत्त की जाती है, वहां ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए इस प्रकार संदत्त करों की बाबत प्रत्यय धारा 115ञख के अधीन संदत्त करके अन्तर पर और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित उसकी कुल आय पर कम्पनी द्वारा संदेय कर की रकम अनुज्ञात की जाएगी। इस प्रकार अवधारित कर प्रत्यय की रकम किसी वर्ष में अग्रनीत किए जाने और मुजरा किए जाने के लिए तब अनुज्ञात की जाएगी जब कर नियमित उपबंधों के अधीन संगणित कुल आय पर संदेय हो जाता है। तथापि, उस निर्धारण वर्ष के ठीक उत्तरवर्ती पांचवें निर्धारण वर्ष के परे कोई अग्रनयन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा, जिसमें कर प्रत्यय अनुज्ञेय हो जाता है। आगे ले जाए गए प्रत्यय कर की बाबत मुजरा किसी निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय पर कर और ऐसा कर जो उस निर्धारण वर्ष के लिए धारा 115ञख के अधीन संदेय हो गया हो, के मध्य हुए अन्तर की सीमा तक अनुज्ञात किया जाएगा। कोई प्रत्यय वर्ष 2006-2007 से पूर्व किसी निर्धारण वर्ष में संदत्त मैट की बाबत अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 35]

अनिवासी (वैदेशिक) लेखा में ब्याज की छूट का पुनःप्रवर्तन किया जाना

आय-कर के अधिनियम की धारा 10 के खंड (4) उपखंड (ii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन भारत के किसी बैक में अनिवासी (वैदेशिक) लेखा में किसी व्यष्टि के प्रत्यय में जमारशि पर ब्याज के रूप में कोई आय, आय-कर से छूट प्राप्त है। तथापि, यह छूट 31 मार्च, 2005 के पश्चात् ऐसे ब्याज के रूप में आय के संबंध में उपलब्ध नहीं है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपखंड का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि अनिवासी (वैदेशिक) लेखा में व्यष्टि के प्रत्यय में जमा राशियों पर ब्याज के रूप में ऐसी आय 31 मार्च, 2005 के पश्चात् भी कर से छूट प्राप्त करती रहेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

विदेशी करेंसी निक्षेपों पर ब्याज की छूट का पुनःप्रवर्तन

धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (चक) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी अनिवासी या ऐसे व्यक्ति को जो विदेशी करेंसी में निक्षेपों के संबंध में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, 1 अप्रैल, 2005 से पहले किसी अनुसूचित बैंक द्वारा संदेय ब्याज को, जहां बैंक द्वारा ऐसे निक्षेपों की स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित है, आय-कर से छूट दी जाती है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त मद (चक) का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध हो सके कि किसी अनिवासी को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो मामूली तौर पर निवासी नहीं है, ब्याज के रूप में संदेय ऐसी रकम को 1 अप्रैल, 2005 को या इसके पश्चात् छूट जारी रहेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

किसी वायुयान या वायुयान के इंजन का अर्जन करते समय संदत्त पट्टा किराया पर छूट का पुनःप्रवर्तन

धारा 10 का खंड (15क) किसी पट्टे से होने वाली किसी ऐसी आय को, जिसे वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी किसी भारतीय कंपनी द्वारा किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी विदेशी उद्यम से किसी वायुयान या वायुयान इंजन के पट्टे के संबध में प्राप्त किया जाता है, आय-कर से छूट दिए जाने का उपबंध करता है। यह छूट इस शर्त के अधीन रहते हुए उपलब्ध है कि ऐसे पट्टे के लिए करार 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व किया जाता है। अन्य शब्दों में, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए किसी करार के अधीन पट्टा किराया संदायों के संबंध में कर छूट उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, धारा 10 का खंड (6खख) किसी भारतीय कंपनी द्वारा किन्हीं ऐसे पट्टा किरायों में संदत्त कर पर कर से छूट के लिए उपबंध करता है।

यह उपबंध करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है कि 30 सितंबर, 2005 को या उससे पूर्व किए गए करारों के संबंध में पट्टा संदायों के लिए छूट जारी रहेगी। तथापि, 1 अक्तूबर, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए करारों के अनुसरण में संदत्त पट्टा संदायों के संबंध में कर पर कर से छूट का फायदा उपलब्ध होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 4]

किसी अनिवासी की दशा में तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व और फीस पर कर की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करना

धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (ख) के विद्यमान उपबंध ऐसी दरों को उपबंधित करते हैं, जिन पर आय-कर उस दशा में संदेय होगा, जहां किसी अनिवासी (जो कोई कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में, विदेशी कंपनी द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से धारा 44घक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय से भिन्न तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस के माध्यम से प्राप्त कोई आय सम्मिलित है और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ किया गया है वहां यह करार केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित हो या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त किसी औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां यह करार उस नीति के अनुसार हो।

उक्त खंड (ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, 31 मई, 1997 को या उससे पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस तीस प्रतिशत की दर से कराधये है और जहां तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसा स्वामिस्व या फीस 31 मई, 1997 के पश्चात् किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त की जाती है, वह अधिनियम के अधीन बीस प्रतिशत की दर से कराधेय है।

उपधारा (1) के उक्त खंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त स्वामिस्व पर उक्त कर की दर को बीस प्रतिशत की दर से घटाकर दस प्रतिशत किया जा सके। यह और प्रस्ताव किया जाता है कि 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर की दर को बीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत किया जाए।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस के मामले में स्रोत पर कर की कटौती के लिए दरों को बीस प्रतिशत से घटकार दस प्रतिशत करते हुए वित्त विधेयक, 2005 की पहली अनुसूची के भाग 2 में संशोधन किए जाएं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 34]

किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरणों को किसी अवसंरचना सुविधा का विकास करने, प्रचालन करने, अनुरक्षण करने के लिए कर फायदों का विस्तार

धारा 80-झक की उपधारा (4) के खंड (i) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी अवसंरचना सुविधा के विकास या प्रचालन और अनुरक्षण या विकास, प्रचालन और अनुरक्षण का कारबार कर रहा कोई उद्यम, जो 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात् ऐसा प्रचालन और अनुरक्षण प्रारंभ करता है, दस वर्ष की अवधि के लिए लाभों के एक सौ प्रतिशत की कटौती के लिए पात्र है। उपखंड (क) यह उपबंध करता है कि ऐसा उद्यम भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के समूह के स्वामित्व में होना चाहिए।

उपर्युक्त शर्त को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे कि किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी ऐसे प्राधिकरण या बोर्ड या निगम या किसी अन्य निकाय को, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित नहीं है, उक्त धारा के अधीन उपलब्ध कराए गए फायदों का लाभ उठाने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 26]

नई मशीनरी और संयंत्र पर अवक्षयण की दरों का सुव्यवस्थीकरण और अतिरिक्त अवक्षयण में वृद्धि

धारा 32 के विद्यमान उपबंधों के अधीन आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट बढ़ी हुई दरों पर पूंजी आस्तियों के लिए कटौती के लिए अवक्षयण अनुज्ञात किया जाता है। साधारण मशीनरी और संयंत्र पर अवक्षयण का बढ़ा हुआ मूल्य 25% है। इसके अतिरिक्त धारा 32, अन्य बातों के साथ-साथ, इस शर्त के अधीन रहते हुए कि नए संयंत्र और मशीनरी के प्रतिष्ठापन के परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठापित क्षमता में दस प्रतिशत की वृद्धि हो, नई मशीनरी और संयत्र पर पन्द्रह प्रतिशत के प्रारंभिक अवक्षयण के लिए भी उपबंध करती है।

अवक्षयण की दर काफी लंबे समय से विद्यमान दरों पर बनी हुई है। इनसे पिछले दो दशकों के दौरान निरंतर घटती निगम कर दरों और पूंजी माल की कीमतों में गिरती मुद्रास्फीती की दर के परिणामस्वरूप आंतरिक प्रौद्भवनों पर सकारात्मक प्रभाव पूर्ण रूप से उपदर्शित नहीं होता है। देशी कंपनियों पर कर की दर को 35.875 प्रतिशत (2.5 प्रतिशत के अधिभार सहित) से घटाकर 33 प्रतिशत (10 प्रतिशत के अधिभार सहित) करने का प्रस्ताव है। इस कर की दर में इस कमी से, संयंत्र और मशीनरी के प्रतिस्थापन के वित्तपोषण के लिए कंपनियों के आंतरिक प्रोद्भवनों में आगे और सुधार होगा।

पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए, आय-कर अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि साधारण मशीनरी और संयत्र पर 25 प्रतिशत की विद्यमान अवक्षयण दर को घटाकर 15 प्रतिशत किया जा सके। साधारण मशीनरी और संयत्र के लिए दर में कमी के अनुरूप अन्य पूंजी आस्तियों के लिए अवक्षयण दरों का भी सुव्यवस्थीकरण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, नए निवेशों को प्रोत्साहित करने के लिए, नई मशीनरी और संयत्र पर प्रारंभिक अवक्षयण की दर को विद्यमान 15 प्रतिशत के स्तर से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है। प्रारंभिक अवक्षयण का लाभ लेने के लिए प्रतिष्ठापित क्षमता में 10 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि का सृजन करने की अपेक्षा को भी समाप्त करने का प्रस्ताव है। इसके परिणाम स्वरूप, आय-कर अधिनियम की धारा 32 के प्रस्तावित खंड (2(i)क) में निर्दिष्ट के सिवाय सभी नए संयंत्र और मशीनरी को प्रारंभिक अवक्षयण उपलब्ध होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 8]

किसी पोत के क्रय के लिए उपयोग की आरक्षितियों के लिए कर व्यवहार

धारा 33कग के विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई पोत परिवहन कंपनी नए पोत के अर्जन के लिए उपयोग किए जाने वाले आरक्षित लेखा में जमा की गई रकमों के संबंध में विनिर्दिष्ट कटौती के लिए अनुज्ञात की गई है। साधारणतया किसी नए पोत का अर्जन ऋणों और आंतरिक प्रोद्भवनों द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। ये आंतरिक प्रोद्भवन इस प्रयोजन के लिए साधारण आरक्षितियों या विशेष आरक्षितियों से हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त, विधि यह उपबंध करती है कि यदि कोई कंपनी तीन वर्ष की 'आबद्धकर-अवधि' के पश्चात् किसी पोत का विक्रय या अंतरण करती है और विक्रय आगम, उस पूवर्तवर्ती वर्ष की समाप्ति से, जिसमें ऐसा विक्रय या अंतरण हुआ था, एक वर्ष की अवधि के भीतर किसी नए पोत के अर्जन के प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किए जाते हैं, तो विक्रय आगम उस पूर्ववर्ती वर्ष, जिसमें पोत का विक्रय या अंतरण हुआ था, के ठीक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष के लाभ समझे जाएंगे।

जैसा कि ऊपर उल्लिखत है, किसी पोत परिवहन कंपनी द्वारा नए पोत का अर्जन, आरक्षित पूंजी और उधार ली गई पूंजी दोनों के उपयोग द्वारा होता है। विद्यमान विधि यह उपबंध करती है कि यदि कोई पोत विक्रय या अंतरित किया जाता है, तो संपूर्ण विक्रय आगम कर के अध्यधीन होंगे। यह विवक्षित है कि उधार ली गई पूंजी तथा आरक्षितियों से निकली गई पूंजी दोनों पर कर का बोझ पड़ेगा। इसका वास्तविक आशय पोत के अर्जन के लिए आरक्षित खाते से उपयोग की गई रकम पर कर के भार का निर्बधन करना है।

प्रस्तावित संशोधन इस वास्तविक आशय को स्पष्ट करने के लिए है जबकि विक्रय आगमों का उतना भाग जितना कि उस रकम को दर्शित करता है, जो आरक्षित खाते से निकाला गया है और पोत के अर्जन के लिए उपयोग किया गया है, लाभ समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से भूतलक्ष्मी रूप से प्रभावी होगा, और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-05 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबधं में लागू होगा।

[खंड 9]

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन संदायों के लिए कटौती

गत दशक के दौरान, असंख्य कम्पनियों ने पुनर्संरचना करने का कार्यक्रम प्रारम्भ किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ, अपने कार्यबल के परिमाण का पुनर्विलोकन किया जाना भी है। परिणामस्वरूप ऐसी कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमें आरम्भ की हैं। इन कम्पनियों को विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विरचित किसी स्कीम के अधीन उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के समय अपने कर्मचारियों को संदायों का परिशोधन करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है।

विद्यमान उपबंध इस आशय को पूरी तरह से परिलक्षित नहीं करते है। विद्यमान उपबंधों के अधीन, सेवानिवृत्ति के समय किसी कर्मचारी को संदत्त रकम का एक बटा बांच भाग कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है और अतिशेष चार अनुवर्ती वर्षों में चार समान किस्तों में कटौती किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है। यहां आंशिक संदाय सेवानिवृत्ति के समय किया जाता है, वहां केवल पहले वर्ष में किया गया संदाय पांच वर्षों के दौरान परिशोधित किया जाना अनुज्ञात किया गया है। पश्चालवर्ती वर्षो में किस्तों में संदत्त अतिशेष कटौती के रूप में अनुज्ञात नहीं किया गया है। प्रस्तावित संशोधन किसी वर्ष में किए गए संदाय की रकम के परिशोधन के लिए उपबंध करने के लिए है, प्रत्येक ऐसा संदाय पांच वर्ष की अवधि के दौरान परिशोधन के लिए अनुज्ञेय हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2004 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2004-2005 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 11]

ड्रेजरों को टनभार कर स्कीम के प्रयोजन के लिए अर्हक पोत के रूप में समझा जाना

अध्याय-12छ पोत परिवहन कम्पनियों पर टनभार कर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध करता है। यह कर "अर्हक पोत" की बाबत उद्गृहीत किया जाता है। तथापि, कोई ड्रेजर टन भार कर के उद्ग्रहण के प्रयोजनों के लिए अर्हित नहीं है। प्रस्तावित संशोधन विधि का संशोधन करने के लिए है जिससे कि टन भार कर का विस्तार ड्रेजरों पर विस्तारित किया जा सके। ड्रेजरों की दशा में, यह उद्ग्रहण कर दाता के विकल्प पर आयकर के बदले में होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2005-2006 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 36]

व्युत्पन्न संव्यवहारों के कर व्यवहार को सुव्यवस्थित करने के लिए उपाय

विद्यमान उपबंधों के अधीन [धारा 43 का खण्ड (5)] किसी वस्तु के, जिसके अंतर्गत स्टॉक और शेयर भी हैं, क्रय और विक्रय के लिए संव्यवहार सट्टे वाला संव्यवहार समझा गया है, यदि उसका वास्तविक परिदान से अन्यथा परिनिर्धारण हो जाता है। तथापि, कतिपय प्रवर्ग के संव्यवहार इन उपबंधों के कार्यक्षेत्र से अपवर्जित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, मोक सट्टे वाली हानियां पश्चात्वर्ती वर्षों में सट्टे वाले लाभों के प्रति मुजरा के लिए आठ वर्ष तक अग्रनीत किए जाने के लिए अनुज्ञात हुई हैं। यह निर्बंधन आवशक रूप से किसी समुचित संस्थागत संरचना के अभाव में कृत्रिम रूप से उत्पन्न हानियों के दावों को निवारित करने के अपवंचन निवारण उपाय के रूप में अभिकल्पित किया गया है।

स्टॉक बाजारों द्वारा आरंभ किए गए हाल ही के क्रमिक और प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का परिणाम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कृत्रिम संव्यवहारों के माध्यम से कल्पित हानियों को उत्पन्न करने या हानि के भार को बदलने को निवारित करने के लिए पर्याप्त पारदर्शिता है। स्क्रीन आधारित कम्प्यूटरीकृत व्यापार सर्वोत्तम लेखा परीक्षा श्रंखला के लिए उपबंध करता है। अतः, सट्टा वाले और गैर सट्टा वाले संव्यवहार, विशिष्टतया, जिनका संबंध शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों के व्युत्पन्न से है, के मद्दे वर्तमान अंतर अधिक आवश्यक नहीं है।

अतः, प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में हुए व्युत्पन्न में व्यापार की बाबत् पात्र संव्यवहार सट्टा वाला संव्यवहार नहीं समझा जाएगा। प्रस्तावित संशोधन इस संबंध में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों के बारे में सुसंगत नियम आदि को भी अधिसूचित करने के लिए है। इसके अतिरिक्त, धारा 73 की उपधारा (4) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे आठ निर्धारण वर्षों से चार निर्धारण वर्ष तक, सट्टा वाली हानियों की अग्रनयन के अवधि को कम किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार, निर्धारण वर्ष 2006-2007 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 14 और 20]

स्रोत पर कर कटौती और संग्रहण के उपबंध का सुव्यवस्थीकरण

1 अप्रैल, 2006 के पश्चात् कटौती किए गए करों के लिए स्रोत कर कटौती प्रमाणपत्र का आय विवरणी के साथ संलग्न न किया जाना

धारा 139 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, आय की किसी ऐसी विवरणी को तब भी त्रुटिपूर्ण नहीं माना जाता है, यदि उसके साथ ऐसे किसी कर का, यदि कोई हो, सबूत संलग्न नहीं है, जिसकी 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कटौती कर लिए जाने के संबंध में दावा किया गया है। इसी प्रकार, धारा 199 की उपधारा (3) के उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रत्यय कटौती कर्त्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर दिया जाएगा और उस व्यक्ति से, जिससे कटौती की गई है, पूर्व संदत्त करों के लिए प्रत्यय का दावा करने के लिए स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र फाइल करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। परिणामतः, धारा 203 के उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि किसी कटौतीकर्ता से, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् स्रोत पर कर कटौती के संबंध में स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। इस उपबंध को 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्रों के निरर्थक हो जाने की संभावना को देखते हुए सम्मिलित किया गया था।

ओ एल टी ए एस के अधीन कर लेखा की नई प्रणाली धीरे-धीरे स्थिर हो रही है और इसे अभी पूर्ण दक्षता प्राप्त करनी है। दूसरे, कर कटौती से संबंधित प्रविष्टियों को एनएसडीएल को बैंक में और बैक से कटौतीकर्ता द्वारा कटौती किए गए कर के निक्षेप से आरंभ होने वाले प्रक्रमों पर त्रुटिरहित बनाए जाने की आवश्यकता है। अतः स्रोत पर कटौती किए गए कर का सबूत के रूप में स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र फाइल करने की विद्यमान अपेक्षा से पहले कुछ समय इसमें लगेगा जिसे समाप्त किया जा सकता है। स्रोत पर कटौती किए गए कर के साक्ष्य के रुप में कर कटौती प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि निर्धारण वर्ष 2006-07 तक सभी विवरणियों को स्रोत पर कर की कटौती के प्रमाणपत्र के साथ संलग्न करना होगा जिसके न किए जाने पर विवरणी त्रुटिपूर्ण समझी जाएगी। इसी प्रकार, धारा 199 के उपबंधों का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण वर्ष 2006-07 तक स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रत्यय स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र के प्रस्तुत किए जाने पर ही दिया जाएगा। धारा 203 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कटौतीकर्ता से 1 अप्रैल, 2006 से पहले स्रोत पर कर कटौती की बाबत स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र जारी करने की अपेक्षा की जाएगी। तथापि, ऐसे प्रमाणपत्रों के आधार पर विवरणी के साथ स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र फाइल करने और प्रत्यय का दावा करने की अपेक्षा निर्धारण वर्ष 2007-08 से अभिमुक्त होगी। इसी प्रकार, कटौतीकर्ता से 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् स्रोत पर कर कटौती की बाबत स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

ऐसे ही संशोधन आय-कर अधिनियम के अध्याय 17खख के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण की बाबत भी प्रस्तावित किए जा रहे है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

[खंड 40, 50, 51 और 53]

दो ट्रकों तक रखने वाले ट्रक आपरेटरों को स्रोत पर कर कटौती से छूट

धारा 194ग की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन कर की कटौती की जानी वहां अपेक्षित है जहां जमा की गई या या संदत्त की गई या जमा किए जाने के लिए या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य राशि रकम बीस हजार रुपए से अधिक है या एकल कटौतीकर्ता द्वारा किया गया कुल संदाय पचास हजार रूपए से अधिक है।

उपरोक्त उपधारा (3) के उपबंधों के लिए वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के माध्यम से लाए गए संशोधनों के कारण छोटे ट्रक स्वामियों विशेषकर उन स्वामियों को जिनके पास दो तक ट्रक हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विधि किसी ट्रक से बयालिस हजार रुपए प्रति वर्ष की दर पर आय आंकलन के लिए उपबंध करती है। चूंकि छूट सीमा को बढ़ाकर एक लाख रूपए कर दिया गया है। ऐसे व्यक्तियों की, जिनके पास दो तक ट्रक हैं, आय छूट सीमा से कम हैं, और अतः, वे कर के लिए दायी नहीं हैं। ऐसे ट्रक स्वामियों के लिए स्रोत पर कोई कटौती किए जाने से अतिरिक्त भार में वृद्धि होगी क्योंकि विवरणी फाइल करके प्रतिदाय के लिए दावें किए जाने होंगे।

अतः, प्रस्तावित संशोधन, किसी ऐसे उपठेकेदार को, जो कोई व्यष्टि है और जिसके पास पूर्ववर्त्ती वर्ष के दौरान किसी भी समय दो से अधिक मालवाहक नहीं थे, संदत्त रकम में से स्रोत पर कर कटौती न किए जाने के लिए उपबंध करने हेतु है। ऐसी कटौती न किए जाने के लिए उपठेकेदार (परिवहनकर्ता) से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह संदाय के लिए दायी व्यक्ति को एक ऐसी घोषणा प्रस्तुत करे, जैसी कि विहित की जाए। इसी प्रकार, उपठेकेदार को स्रोत पर कर की कटौती किए बिना संदाय करने वाला व्यक्ति आय-कर प्राधिकारी को विहित प्ररूप में, विहित समय के भीतर, विशिष्ट विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2005 से प्रभावी होगा।

[खंड 49]

बैंकों, सहकारी सोसाइटियों और पब्लिक सेक्टर कंपनियों द्वारा कर की कटौती न करने के ब्यौरों के संबंध में त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करना

प्रस्तावित नई धारा 206क यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) के उपबंध में विनिर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक सेक्टर कंपनी जो किसी निवासी को ऐसी किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, जो ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) के रूप में पांच हजार रुपए से अनधिक हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितम्बर, 31 दिसम्बर, और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए त्रैमासिक विवरणियां तैयार करेगा और पूर्वोक्त तिमाही विवरणियां ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक काट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कम्प्यूटर पठनीय माध्यम पर विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किन्हीं व्यक्तियों को परिदत्त करेगी या परिदत्त करवाएगी।

यह और उपबंध किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) में वर्णित किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से जो अध्याय 17 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी किसी आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, अपेक्षा कर सकेगी कि वह विहित

प्ररूप में तथा ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसे समय के भीतर है जो विहित किया जाए, किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक काट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कम्प्यूटर पठनीय माध्यम पर तिमाही विवरणियां तैयार करेगा और विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त करेगी या परिदत्त करवाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2005 से प्रभावी होगा।

[खंड 52]

कर की कटौती न करने के लिए बैंकों, सहकारी सोसाइटियों और पब्लिक सैक्टर कंपनियों द्वारा तिमाही विवरणियां प्रस्तुत न करने के लिए शास्तियां

प्रस्तावित संशोधन नई अंतःस्थापित धारा 206क की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर तिमाही विवरणियां परिदत्त करने में असफल रहने या परिदान करवाने में असफल रहने पर शास्तियों का उपबंध करने के लिए धारा 272क की उपधारा (2) में एक नया खंड (1) अंतःस्थापित करने के लिए है। व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस के लिए एक सौ रुपए की शास्ति होगी।

यह संशोधन 1जून, 2005 से प्रभावी होगा।

[खंड 60]

आमेलन की स्कीम के अधीन किसी बैंककारी कंपनी की हानियों का बैंककारी संस्था के लाभों से मुजरा करने के लिए उपबंध करने के लिए नया उपबंध

केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत आमेलन की स्कीम के अधीन बैंककारी संस्था के लाभों के संबंध में बैंककारी कंपनी की संचित हानि और अनामेलित अवक्षयण मोक के अग्रनयन और मुजरा के लिए उपबंध करने की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि आय-कर अधिनियम, 1961 में नई धारा 72कक अंतःस्थापित की जाए।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करती है कि जहां बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत और प्रवृत्त स्कीम के अधीन किसी बैंककारी कंपनी का किसी बैंककारी संस्था के साथ आमेलन किया जाता है, आमेलित कंपनी की संचित हानि और मोक अवक्षयण को उस पूर्ववर्ती वर्ष के लिए जिसमें आमेलन की स्कीम प्रवृत्त की जाती है, उस बैंककारी संस्था की हानि या मोक समझा जाएगा और आय-कर अधिनियम, 1961 में अन्तर्विष्ट मुजरा और अग्रनीत तथा मोक अवक्षयण से संबंधित उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

प्रस्तावित नई धारा का स्पष्टीकरण उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, "संचित हानि", "बैंककारी कंपनी", "बैंककारी संस्था" और "मोक अवक्षयण" पद परिभाषित करती है।

यह भी प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 47 का संशोधन किया जाए जिससे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 7 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत और प्रवृत्त ऐसी बैंककारी संस्था के साथ ऐसी बैंककारी कंपनी के आमेलन की स्कीम में किसी बैंककारी संस्था को बैंककारी कंपनी द्वारा पूंजी आस्ति का कोई अंतरण पूंजी अभिलाभों के प्रयोजनों के लिए अंतरण के रूप में समझा जाएगा।

यह और प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 49 का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध हो सके कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन स्वीकृत बैंककारी संस्था के साथ किसी बैंककारी कंपनी के आमेलन की स्कीम के अधीन अंतरित पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत ऐसी लागत नहीं समझी जाएगी, जिसके लिए बैंककारी कंपनी ने इसे अर्जित किया है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप सें 1 अप्रैल, 2005 से लागू होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 8,15,16 और 19]

तलाशी और अभिग्रहण के मामलों में निर्धारण के लिए प्रक्रिया का सुव्यवस्थीकरण

धारा 153ख की उपधारा (1) के खंड (क) के विद्यमान उपबंध निर्धारण अधिकारी को उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, कि सुसंगत निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती छह निर्धारण वर्षों की कुल आय के, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार को निष्पादित किया गया था, अंत से दो वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण या पुनःनिर्धारण का आदेश करने की शक्ति प्रदान करता है। उक्त उपधारा का खंड (ख) निर्धारण अधिकारी को उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय का, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार को निष्पादित किया गया था, अंत से दो वर्ष के भीतर निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश करने की शक्ति प्रदान करता है।

पूर्वोक्त खंड (क) और खंड (ख) में उपबंधित समय-सीमा, धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में निर्धारण या पुनःनिर्धारण के लिए भी लागू होती है।

उपबंधों के सुव्यवस्थीकरण की दृष्टि से उक्त धारा 153ख की उपधारा (1) में परंतुक अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के लिए समय-सीमा, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार को निष्पादित किया गया था, अंत से दो वर्ष या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती हैं, अंत से एक वर्ष, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी।

धारा 153क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की हैं, जिसके मामले में धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी तो वह उन्हें ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप देगा और निर्धारण अधिकारी ऐसे

अन्य व्यक्ति के संबंध में धारा 153क के अधीन कार्रवाई करेगा। धारा 153क का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि उक्त धारा में निर्दिष्ट छह वर्ष की अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण का, यदि कोई हो, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को लंबित होने पर उपशमन हो जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का संशोधन किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में धारा 153क के दूसरे परंतुक में, धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियों या दस्तावेजों या आस्तियों को प्राप्त करने की तारीख के प्रति निर्देश है।

यह और प्रस्ताव है कि एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित की जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस पूववर्ष से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132(क) के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, अन्य व्यक्ति की दशा में, जहां (क) ऐसे व्यक्ति द्वारा आय की विवरणी नहीं दी गई है और धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन उसको कोई सूचना जारी नहीं की गई है ; या (ख) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा आय की विवरणी दी गई है किंतु धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं की गई है और धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना तामील करने की परिसीमा समाप्त हो गई है ; या (ग) निर्धारण या पुनःनिर्धारण, यदि कोई हो, ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां, दस्तावेज या आस्तियां प्राप्त करने की तारीख से पूर्व किया गया है, वहां ऐसा निर्धारण अधिकारी उस व्यक्ति को सूचना जारी करेगा और धारा 153क में उपबंधित रीति में ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए उस अन्य व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण करेगा। प्रस्तावित नई उपधारा (2) के उपबंध वहां लागू होंगे जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां, दस्तावेज या आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए नियत तारीख के पश्चात् प्राप्त की जाती है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार 31 मई, 2003 के पश्चात् धारा 132 के अधीन आंरभ की गई किसी तलाशी के संबंध में या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखा बहियां, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 46 और 47]

जीरो कूपन बंधपत्रों से आय का कराधान

जीरो कूपन बंधपत्रों के कर व्यवहार को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से, यह प्रस्ताव है कि शीर्ष पूंजी अभिलाभों के अधीन जीरो कूपन बंधपत्र (जो व्यापार स्टाक नहीं है) के अन्तरण पर आय समझी जाए। इस प्रयोजन के लिए, धारा 2 के खंड (47) में उपबंधित पद "अन्तरण" की परिभाषा में संशोधन किया गया है जिससे जीरो कूपन बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन को "अंतरण" पद की परिधि के भीतर लाया जा सके। "जीरो कूपन बंधपत्र" की परिभाषा धारा 2 के प्रस्तावित नए खंड (48) में दी गई है जिससे उसके संबंध में यह अर्थ निकाला जाए कि परिपक्वता या मोचन से पहले कोई फायदा प्राप्त नहीं किया जाता है या प्राप्य नहीं है और जो अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् जारी किया गया है और राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है। अल्पकालिक पूंजी आस्ति की परिभाषा में पारिणामिक संशोधनों को भी किये जाने का प्रस्ताव है ताकि अल्पकालिक पूंजी आस्ति के रूप में बारह मास से अनधिक की अवधि के लिए धारित जीरो कूपन बंधपत्रों के साथ धारा 112 के उपबंधों का भी संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है जिससे की उन अन्य के अनुरूप समानता लाई जा सके परिणामतः, यदि कर दाता सूचीकरण के फायदे का दावा नहीं करता है तो जीरो कूपन बंधपत्रों पर दीर्धकालिक पूंजी अभिलाभ दस प्रतिशत की दर से कर के अध्यधीन होंगे। यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसी कंपनी या निधि या पब्लिक सैक्टर कंपनी का, जो ऐसे बंधपत्र जारी करती है, इस संबंध में विहित किए जाने वाले नियमों के अधीन आनुपातिक आधार पर बट्टे के लिए कटौती अनुज्ञात की जाएगी। धारा 194क में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ज़ीरो कूपन बंधपत्रों पर संदेय आय के संबंध में स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की जाएगी।

[खंड 3,12,33 और 48]

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय
स्वयं के अनुसंधान और विकास पर उपगत व्यय पर आकलित कटौती का विस्तार

धारा 35 की उपधारा (2कख) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन जैव प्रौद्योगिकी, या किसी औषध भेषजी, इलेक्ट्रॉनिक उपस्करों, कम्प्युटरों, रसायनों आदि के उत्पादन या विनिर्माण के कारबार में लगी हुई कोई कंपनी वैज्ञानिक अनुसंधान (भूमि और भवन की लागत को छोड़कर)पर कोई व्यय उपगत करती है, को इस प्रकार उपगत व्यय के एक सौ पचास प्रतिशत तथा आकलित कटौती अनुज्ञात है। तथापि, ऐसे व्यय की बाबत 31मार्च, 2005 के पश्चात् कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

स्वदेशी इन-हाउस वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने की दृष्टि से उक्त उपधारा के अधीन आकलित कटौती का लाभ उठाने की समयसीमा का दो और वर्षों अर्थात 31.3.2007 तक विस्तार करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे, तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2006-07 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 10]

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास करने वाली किसी कंपनी को धारा 80झख के अधीन
कर अवकाश के प्रयोजन के लिए समयसीमा का विस्तार

धारा 80-झख की उपधारा (8क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास करने वाली किसी कंपनी को दस निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार के लाभों की सौ प्रतिशत कटौती की अनुज्ञा दी गई है, यदि ऐसी कंपनी, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल, 2005 के पूर्व अनुमोदित कर दी गई है।

देश में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के संवर्धन के दृष्टिकोण से,वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास करने वाली कंपनियों को कटौती अनुज्ञात करना प्रस्तावित है, जो 1 अप्रैल, 2007 से पूर्व, विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

प्रस्तावित संशोधन 1अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2006-07 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 27]

अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए उपाय

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट प्रतिभूतियों से उद्भूत पूंजी अभिलाभ पर संव्यवहार कर उदगृहीत किया जाना और छूट/रियायत

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के विद्यमान उपबंध विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों से संबंधित संव्यवहारों के मूल्य पर प्रतिभूति संव्यवहार कर उद्गृहीत करने का उपबंध करते हैं।

उक्त अध्याय उपबंध करता है कि निम्नलिखित संव्यवहारों के संबंध में प्रतिभूति संव्यवहार कर निम्न दरों पर भारित किया जाएगा-

(i) क्रेता द्वारा संदत्त की जाने वाली, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट कंपनी के साधारण शेयर या किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई की परिदान आधारित खरीद के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.075% की दर से,

(ii) विक्रेता द्वारा संदत्त की जाने वाली, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट कंपनी के साधारण शेयर या किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई की परिदान आधारित खरीद के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.075% की दर से,

(iii) विक्रेता द्वारा संदत्त की जाने वाली, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सजेंज में प्रविष्ट कंपनी के साधारण शेयर या किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई की अपरिदान आधारित बिक्री के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.015% की दर से,

(iv) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट, विकल्प या भावी व्युत्पन्नों के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.01% की दर से,

(v) किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई को पारस्परिक निधि को बिक्री के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.15% की दर से।

अतिरिक्त संसाधनों को बढ़ाने और कर राजस्व के नुकसान को रोकने के दृष्टिकोण से भी इन दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नई दरें निम्नानुसार होंगीः-

(i) क्रेता द्वारा संदत्त की जाने वाली, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट कंपनी के साधारण शेयर या किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई की परिदान आधारित खरीद के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.1% की दर से,

(ii) विक्रेता द्वारा संदत्त की जाने वाली, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट कंपनी के साधारण शेयर या किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई की परिदान आधारित खरीद के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.1% की दर से,

(iii) विक्रेता द्वारा संदत्त की जाने वाली, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट कंपनी के साधारण शेयर या किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई की अपरिदान आधारित खरीद के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.02% की दर से,

(iv) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रविष्ट विकल्प या भविष्य व्युत्पन्नों के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.0133% की दर से,

(v) किसी साम्या उन्मुख निधि की इकाई को पारस्परिक निधि को बिक्री के संव्यवहारों के मूल्य पर 0.2% की दर से।

प्रस्तावित संशोधन 1जून, 2005 से प्रभावी होगा।

[खंड 124]

कर अपवंचन रोकने के लिए उपाय

बैंककारी नकद संव्यहार कर उद्गृहीत करने के लिए नए उपबंध

वित्त विधेयक, 2005 के अध्याय 7 में बैंककारी नकद संव्यवहार कर के संबंध में उपबंध है। कराधेय बैंककारी संव्यवहारों पर बैंककारी नकद संव्यवहार कर उद्गृहीत करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित नया अध्याय जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत को लागू होगा। यह अध्याय 1 जून, 2005 को प्रवृत्त होगा।

विधेयक का खंड 94 यह प्रस्ताव करता है कि व्यक्ति की परिभाषा का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (31) में है और इसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या किसी सरकार का कोई कार्यालय भी है।

पूर्वोक्त खंड कराधेय बैंककारी संव्यवहारों को भी निम्नानुसार परिभाषित करने का प्रस्ताव करता है;-

(i) किसी अनुसूचित बैंक से किसी एकल दिवस को दस हजार रुपए से अधिक नकद की निकासी का संव्यवहार करना; या

(ii) किसी व्यक्ति द्वारा किसी अनुसूचित बैंक से किसी एकल दिवस को दस हजार रुपए से अधिक नकद के संदाय पर किसी बैंक ड्राफ्ट, क्रय या बैंकर, चेक या किसी अन्य वित्तीय लिखत का संव्यवहार करना;या

(iii) किसी अनुसूचित बैंक से किसी एकल दिवस को दस हजार से अधिक नकद की, उस बैंक से आवधिक निक्षेप की परिपक्वता पर या अन्यथा नकदीकरण के संबंध में प्राप्ति का संव्यवहार करना।

विधेयक के खण्ड 95 का उपखंड (1) यह प्रस्ताव करता है कि कराधेय बैंककारी नकद संव्यवहार पर ऐसे प्रत्येक कराधेय बैंककारी संव्यवहार के मूल्य के 0.1% की दर से बैंककारी नकद संव्यवहार उद्गृहीत किया जाए। इस खण्ड का उपखंड (2) यह उपबंध करने का प्रस्ताव करता है कि बैंककारी नकद संव्यवहार कर निम्नलिखित द्वारा संदेय होगा,-

(i) दस हजार रुपए से अधिक नकद निकालने के मामले में, उस व्यक्ति द्वारा जो किसी अनुसूचित बैंक से नकद निकालता है;

(ii) दस हजार रुपए से अधिक के नकद संदाय पर बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक या किसी अन्य वित्तीय लिखत के क्रय के संबंध में, उस व्यक्ति द्वारा जो बैंक से ऐसा कोई लिखत क्रय करता है;

(iii) सावधि निक्षेप के नकदीकरण पर नकद प्राप्ति के संबंध में, संबंधित निक्षेपकर्ता द्वारा;

(iv) वाहक चैक के रूप में दस हजार से अधिक नकद निकाले जाने के संबंध में, ऐसे चैक या लिखत के धारक द्वारा।

इस खण्ड के उपखंड (2) का परंतुक यह उपबंध करने का प्रस्ताव करता है कि यदि सावधि जमा की रकम बैंक के किसी खाते में जमा की जाती है तो कोई बैंककारी नकद संव्यवहार कर देय नहीं होगा।

विधेयक खण्ड 96 कराधेय बैंककारी संव्यवहारों के मूल्य को निम्नानुसार परिभाषित करने का प्रस्ताव करता हैः-

(i) दस हजार रुपए से अधिक का नकद निकालने के मामले में, निकाली गई नकद की रकम,

(ii) दस हजार रुपए से अधिक के नकद के संदाय पर बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक या अन्य किसी वित्तीय लिखत की खरीद के संबंध में, जमा किए गए नकद की रकम;

(iii) सावधि जमा के भुनाने पर नकद की प्राप्ति के संबंध में, सावधि जमा के भुनाने पर प्राप्त नकद की रकम।

विधेयक का खण्ड 97 यह प्रस्तावित करने का उपबंध करता है कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से, जो उस बैंक में कराधेय बैंककारी संव्यवहार करता है, विनिर्दिष्ट दर पर बैंककारी नकद संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा। किसी कलैंडर मास के दौरान संगृहीत बैंककारी नकद संव्यवहार कर, प्रत्येक अनुसूचित बैंक द्वारा उक्त कलैंडर मास के ठीक पश्चात्वर्ती मास के पंद्रहवें दिन तक केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त किया जाएगा। उक्त धारा यह भी उपबंधित करती है कि कोई अनुसूचित बैंक जो उक्त अध्याय के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने में असफल रहता है, केन्द्रीय सरकार के खाते में कर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

विधेयक का खण्ड 98 यह उपबंध करने का प्रस्ताव करता है कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् विहित समय के भीतर किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों के संबंध में, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित जैसा कि बोर्ड द्वारा विहित किया जाए, बोर्ड द्वारा प्राधिकृत निर्धारण अधिकारी या अन्य किसी प्राधिकारी या अभिकरण को परिदत्त करेगा। प्रस्तावित खण्ड 100 यह भी उपबंधित करता है कि निर्धारण अधिकारी, निर्धारिती को, जो बैंककारी नकद संव्यवहार कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है,और उसने विहित समय के भीतर विवरणी नहीं दी है, विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी कर सकता है। यह भी प्रस्तावित है कि जहां निर्धारिती ने अनुज्ञात समय के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है, या पूर्व में प्रस्तुत विवरणी में किसी लोप या मिथ्या कथन का पता लगने पर पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत करने का उपबंध किया जाए।

प्रस्तावित अध्याय का खण्ड 99 निर्धारण अधिकारी पर कराधेय बैंककारी संव्यवहारों का मूल्याकंन करने और ऐसे मूल्यांकन के आधार पर संदेय या प्रतिदेय बैंककारी नकद संव्यवहार कर का निर्धारण करने की शक्ति प्रदान करता है। यह भी प्रस्तावित है कि सुसंगत वित्तीय वर्ष समाप्त होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। प्रस्तावित धारा यह भी उपबंधित करती है कि जहां किसी निर्धारिती को प्रतिसंदाय जारी किया गया है, निर्धारिती उसका उस व्यक्ति को विहित समय के भीतर प्रतिसंदाय करेगा जिससे वह संगृहीत किया गया था।

प्रस्तावित अध्याय का खंड 100 यह उपबंध करता है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त अध्याय के उपबंधों के अधीन उस वित्तीय वर्ष के अन्त से, जिसमें आदेश संशोधन किया जाना चाहा गया था, एक वर्ष के भीतर पारित किसी आदेश के अभिलेख से प्रकट किसी मूल्य की परिशुद्धि का उपबंध करता है। यह भी प्रस्तावित किया जाता है कि ऐसा कोई संशोधन जिसका प्रभाव निर्धारण को बढ़ाना, प्रतिदाय को कम करना या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व में वृद्धि करना है, निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही किया जाएगा।

प्रस्तावित अध्याय का खंड 101 यह उपबंध करता है कि प्रत्येक निर्धारिती जो बैंककारी नकद संव्यवहार कर, केन्द्रीय सरकार के खाते में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जमा कराने में असफल रहता है वहां वह प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए ऐसे कर के 1 प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करेगा, जिसके लिए कर जमा कराने में विलम्ब हुआ है,

प्रस्तावित अध्याय का खंड 102 बैंककारी नकद संव्यवहार कर के संग्रहण करने या संदाय में असफल रहने पर शास्ति का उपबंध करता है। यह प्रस्ताव किया जाता है कि कोई निर्धारिती, जो बैंककारी नकद संव्यवहार कर का संपूर्ण या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है तो वह उस बैंककारी नकद संव्यवहार कर, जिसके संग्रहण करने में वह असफल रहा है, की रकम के बराबर धनराशि का शास्ति के रूप में संदाय करने का दायी होगा। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि कोई ऐसा निर्धारिती, जो संगृहीत बैंककारी नकद संव्यवहार कर का केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहता है तो वह ऐसी असफलता जारी रहने के दौरान प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए की शास्ति का संदाय करने का दायी होगा। तथापि, इस खंड के अधीन अधिरोपित की जाने वाली शास्ति संदाय किए जाने वाले बैंककारी नकद संव्यवहार कर की रकम से अधिक नहीं होगी।

प्रस्तावित अध्याय का खंड 103 यह उपबंध करता है कि यदि कोई निर्धारिती विहित समय के भीतर बैंककारी कर संव्यवहार कर के संबंध में विवरणी देने में असफल रहता है तो, वह उस अवधि के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए की धनराशि का संदाय करने के लिए दायी होगा।

प्रस्तावित अध्याय का खंड 104 यह उपबंध करता है कि कोई निर्धारिती, जो प्रस्तावित अध्याय के खंड 100 के उपखंड (2) के अधीन जारी की गई किसी सूचना का अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह शास्ति के रूप में उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक सौ रुपए का संदाय करने के लिए दायी होगा।

प्रस्तावित अध्याय का खंड 105 यह उपबंध करता है कि उपयुक्त धाराओं में से किसी के भी अधीन कोई शास्ति अधिरोपित नहीं होगी यदि निर्धारिती यह सिद्ध कर देता है कि उक्त खंड के उपबंधों का अनुपालन करने में असफलता का युक्तियुक्त कारण था। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि प्रस्तावित अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारिती को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

प्रस्तावित अध्याय का खंड 106 यह उपबंध करता है कि आय-कर अधिनियम की धारा संख्या 120, 131, 133क, 156, 178, 220 से 227 तक, 229, 232, 260क, 261, 262, 265 से 269 तक, 278ख, 282 और 288 से 293 तक बैंककारी नकद संव्यवहार कर के संबंध में लागू होंगी।

प्रस्तावित अध्याय का खंड 107 यह उपबंध करता है कि जहां निर्धारिती निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्धारण आदेश से व्यथित है, वहां वह आय-कर आयुक्त (अपील) को, ऐसे प्ररूप में और ऐसी सत्यापित रीति में जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए, निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील फाइल कर सकेगा।

प्रस्तावित अध्याय का खंड 108 ऐसे प्ररूप और ऐसी सत्यापित रीति में जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए, ऐसे मामलों में जहां निर्धारिती आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित है और ऐसे मामलों में भी जहां आय-कर आयुक्त, आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश पर आपत्ति करता है वहां अपील अधिकरण में अपील फाइल करने का उपबंध करता है।

प्रस्तावित अध्याय का खंड 109 यह उपबंध करता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी सत्यापन में ऐसा कथन करता है, या ऐसे किसी लेखा या विवरण को परिदत्त करता है जो मिथ्या है और जिसका वह या तो मिथ्या होना जानता है या मिथ्या होने का विश्वास करता है या सत्य होने का विश्वास नहीं करता है तो, वह तीन वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडनीय होगा।

प्रस्तावित बैंककारी नकद संव्यवहार के उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप आय-कर अधिनियम की धारा 36 के उपखंड (1) में नए खंड के अंतःस्थापन का प्रस्ताव भी किया जाता है जिससे निर्धारिती द्वारा उसके कराधेय बैंककारी संव्यवहार करने वाले वर्ष के दौरान संदाय किए गए बैंककारी नकद संव्यवहार कर के संबंध में कटौती अनुज्ञात करने का उपबंध किया जा सके।

[अध्याय 7 (खंड 93 से 112) और खंड 12]